मण्डी समिति सेवा विनियमावली

15

24

संख्या —174

रजि० नं० एल. डब्ल्यू/एन पी 560

लाइसेंस नं० डब्ल्यू० पी०—41

लाइसेंस्ड टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 6 मार्च, 1991

फाल्गुन 15, 1912 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग—5

संख्या 733 (ii)/12-5-91-600(287)-81

लखनऊ, 5 मार्च, 1991

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प० आ०—90

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 25-क और 26-भ के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, निम्नलिखित विनियमावली, बनाती है :

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रियत) सेवा (संशोधन) विनियमावली, 1991

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयत) सेवा (संशोधन) विनियमावली, 1991 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम (4) का संशोधन

3--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयत) सेवा विनियमावली, 1984, जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ--1 में दिये गये विनियम 4 के स्थान पर स्तम्भ--2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :---

स्तम्भ--1

वर्तमान विनियम

"4--इस विनियमावली के प्रारम्भ के दिनांक से मण्डी समितियों के लिये केन्द्रीयत सेवायें होंगी, जिसमें नीचे दिये गये संवर्ग और पद होंगे :--

1--सचिव,--

(क) "क" वर्ग की मंडियों के लिये, सचिव श्रेणी-एक

(ख) "ख" वर्ग की मंडियों के लिये सचिव श्रेणी-दो

(ग) "ग" वर्ग की मंडियों के लिये सचिव श्रेणी-तीन

(घ) "घ" वर्ग की मंडियों के लिये सचिव श्रेणी-चार

2--मण्डी कर्मचारी वर्ग,--

(क) मण्डी पर्यवेक्षक

(ख) अमीन/नीलामकर्ता

3--लेखा कर्मचारी वर्ग,--

(क) लेखाकार

(ख) लेखा लिपिक

(ग) रोकड़िया एवं लिपिक

4--सामान्य कर्मचारी वर्ग,--

(क) प्रधान लिपिक

(ख) लिपिक एवं टंकक

5--चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी,--

(क) मण्डी सहायक (कामदार)

(ख) चपरासी

(ग) चौकीदार

(घ) मण्डी अग्निरक्षक

(ङ) सुरक्षागार्ड

(च) वाटरमैन

(छ) माली

(ज) पम्प आपरेटर/विद्युतकार

(झ) साइनमैन

(ञ) विद्युतकार

(ट) ड्राईवर

(ठ) भिस्ती

(ड) सफाईकार"

स्तम्भ--2

संशोधित विनियम

"4--इस विनियमावली के प्रारम्भ के दिनांक से मण्डी समितियों के लिये एक केन्द्रीयत सेवा होगी जिसमें नीचे दिये गये संवर्ग और पद होंगे :--

1--सचिव,--

(क) सचिव श्रेणी--एक

(ख) सचिव श्रेणी--दो

(ग) सचिव श्रेणी-तीन, वर्ग--एक

(घ) सचिव श्रेणी-तीन वर्ग--दो

(ङ) सचिव श्रेणी-तीन वर्ग--तीन

2--मण्डी कर्मचारी,--

(क) मण्डी पर्यवेक्षक

(ख) अमीन/नीलामकर्ता

3--लेखा कर्मचारी,--

(क) लेखाकार

(ख) लेखालिपिक

(ग) रोकड़िया एवं लिपिक

4--सामान्य कर्मचारी,--

(क) प्रधान लिपिक

(ख) लिपिक एवं टंकक

5--चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी,--

(क) मण्डी सहायक (कामदार)

(ख) चपरासी

(ग) चौकीदार

(घ) मण्डी अग्निरक्षक

(ङ) सुरक्षागार्ड

(च) वाटरमैन

(छ) माली

(ज) पम्प आपरेटर/विद्युतकार

(झ) साइनमैन

(ञ) विद्युतकार

(ट) ड्राईवर

(ठ) भिस्ती

(ड) सफाईकार"

विनियम 12 (4) का संशोधन

3--उक्त विनियमावली के विनियम 12 में नीचे स्तम्भ--1 में दिये गये उपविनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ--2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायगा, अर्थात्--

स्तम्भ--1

वर्तमान उपविनियम

"12 (4) वर्ग "घ" के पदों पर भर्ती के लिये चयन समिति में सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन) जो चयन समिति के अध्यक्ष होंगे, और सम्बद्ध मण्डी समिति के अध्यक्ष और सचिव उसके सदस्य होंगे।"

स्तम्भ--2

संशोधित उपविनियम

"12 (4) वर्ग "घ" के पदों पर भर्ती के लिये चयन समिति में सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन), निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी और सम्बद्ध मण्डी समिति का सचिव और यदि एक से अधिक सचिव हों तो ज्येष्ठतम सचिव होंगे। इनमें ज्येष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होगा।

(16) (23)

4—उक्त विनियमावली के विनियम 24 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उपविनियम (1) और (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपविनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् : — विनियम 24 का संशोधन

स्तम्भ—1 वर्तमान उपविनियम	स्तम्भ—2 संशोधित उपविनियम
"24 (1) उपविनियम (2) में उल्लिखित कर्मचारियों से भिन्न केन्द्रीयत सेवा के किसी सदस्य का स्थानान्तरण सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन) के आदेश से एक मण्डी समिति से दूसरी मण्डी समिति को और निदेशक या अपर निदेशक के आदेश से एक सम्भाग से दूसरे सम्भाग को किया जा सकता है। केन्द्रीयत सेवा के सदस्य के स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का वहन उस मण्डी समिति द्वारा किया जायगा, जिसमें उसका स्थानान्तरण किया जाय।"	"24 (1) केन्द्रीयत सेवा के उपविनियम (2) में उल्लिखित कर्मचारियों से भिन्न किसी सदस्य का स्थानान्तरण निदेशक, या अपर निदेशक, या सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन) के आदेश से संभाग में एक मण्डी समिति से दूसरी मण्डी समिति को और निदेशक या अपर निदेशक के आदेश से एक सम्भाग से दूसरे सम्भाग को किया जा सकता है। केन्द्रीयत सेवा के सदस्यों का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का वहन उस मण्डी समिति द्वारा किया जायगा, जिसमें उसका स्थानान्तरण किया जाय।"
"(2) सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन) विशेष परिस्थितियों में किसी मण्डी सहायक, (कामदार) को सम्भाग के भीतर किसी एक मण्डी समिति से दूसरी मण्डी समिति को या मण्डी सहायक (कामदार) से भिन्न समूह "घ" का पद धारण करने वाले सेवा के किसी सदस्य को जिले के भीतर एक मण्डी समिति से दूसरी मण्डी समिति को स्थानान्तरित कर सकता है।"	"(2) निदेशक या अपर निदेशक या सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन) विशेष परिस्थितियों में मण्डी सहायक (कामदार) को सम्भाग के भीतर एक मण्डी समिति से दूसरी मण्डी समिति को या मण्डी सहायक कामदार) से भिन्न समूह "घ" का पद धारण करने वाले सेवा के किसी सदस्य को जिले के भीतर एक मण्डी समिति से दूसरी मण्डी समिति को स्थानान्तरित कर सकता है"

5—उक्त विनियमावली के विनियम 46 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उपविनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायगा, अर्थात्, — विनियम 46 (4) का संशोधन

स्तम्भ—1 वर्तमान उपविनियम	स्तम्भ—1 संशोधित उपविनियम
"46 (4) नियुक्त प्राधिकारी, किसी भी समय, सदस्य को (चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी) नोटिस देकर, कोई कारण बताये बिना उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् उससे सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा कर सकता है या ऐसा सदस्य 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या अपनी बीस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देकर स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो सकता है। ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास होगी।"	"46 (4) नियुक्त प्राधिकारी किसी भी समय सदस्य को (चाहे स्थायी हो या अस्थायी हो) नोटिस देकर, कोई कारण बताये बिना, उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् उससे सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा कर सकता है, या ऐसा सदस्य 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात या अपनी बीस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात किसी भी समय नियुक्त प्राधिकारी को नोटिस देकर स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो सकता है। ऐसी नोटिस की अवधि तीन माह होगी। स्पष्टीकरण :—उपविनियम (4) के अधीन कार्यवाई करने के लिये समय-समय पर यथासंशोधित फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड दो, भाग दो से चार में दिये गये उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के फण्डामेन्टल रूल्स 56 के खण्ड (सी) (जिसके अन्तर्गत उसका स्पष्टीकरण भी है) और ऐसे अन्य नियमों विनियमों, अनुदेशों, आदेशों के उपबन्ध जो उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के संबंध में कार्यरत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू हो, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।"

6—उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विनियम 48 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायगा, अर्थात् : — विनियम 48 का संशोधन

स्तम्भ—1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ—2 संशोधित विनियम
"48—ऐसे विषयों के संबंध में जो, विशिष्ट रूप से इस विनियमावली या अन्य विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, केन्द्रीयत सेवा में नियुक्त व्यक्ति उत्तर प्रदेश के	"48—(1) ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली या अन्य विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, केन्द्रीयत सेवा में नियुक्त व्यक्ति

स्तम्भ--1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ-2 संशोधित विनियम
कार्यकलाप के सम्बन्ध में कार्यरत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।"	उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के संबंध में कार्यरत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों अनुदेशों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे। (2) ऐसे विषयों जो इस विनियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत आते हों, या विनिर्दिष्ट रूप से अन्तर्गत आने वाले समझे जायें, के सम्बन्ध में अन्य ब्योरों और अतिरिक्त उपबन्धों के लिये जो इस विनियमावली या विशेष आदेश में न दिये गये हों, केन्द्रीयत सेवा नियुक्त व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के संबंध में कार्यरत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों, अनुदेशों आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।"

अरविन्द मोहन,
निदेशक, मण्डी परिषद्।

आ. से,
राम कृष्ण,
प्रमुख सचिव (कृषि एवं विपणन),
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, लखनऊ

विनियमावली---(1) प्रथमवार उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग-5, संख्या 381 12-5-600(287)-81 लखनऊ, दिनांक 17 जुलाई, 1984 व राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश, 16 ए0 पी0 सेन रोड, लखनऊ की संख्या : प्र0 प्र0/विनियमावली-19/84 1359 दिनांक 30 जून, 1984 द्वारा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश असाधारण भाग-4, खण्ड (ख) में दिनांक लखनऊ, बुधवार 1 अगस्त, 1984 में प्रकाशित की गयी थी।

(2) उत्तर प्रदेश सरकार कृषि-5 संख्या 1512/12-5-89-600(287)-81 लखनऊ दिनांक 10 अप्रैल, 1989 द्वारा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश असाधारण विधायी परिशिष्ट लखनऊ, दिनांक सोमवार 10 अप्रैल, 1989 में प्रकाशन द्वारा संशोधित की गयी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 733 (ii)/XII-5—91-600 (287)-81, dated March 5, 1991 :

No. 733 (ii)/XII-5—91-600 (287)-81
Dated Lucknow, March 5, 1991

In exercise of the powers under section 25-A and 26-X of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U. P. Act no. XXV of 1964) the State Agricultural Produce Markets Board with the previous approval of the State Government, makes the following regulations :—

THE UTTAR PRADESH AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEES (CENTRALISED) SERVICES (AMENDMENT) REGULATIONS, 1991

Short title, and commencement

1. (1) These regulations may be called the Uttar Pradesh Agricultural Produce Markets Committees (Centralised) Services (Amendment) Regulations, 1991.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. In the Uttar Pradesh Agricultural Produce Market Committees (Contralised) Services Regulations, 1984 hereinafter referred to as the said regulations for regulation-4 set out in column no. 1 the regulation set out in column no. 2 below shall be *substituted*, namely :— Amendment of Regulations-4

COLUMN-1 *Existing Regulation*	COLUMN-2 *Amended Regulation*
"4. With effect from the commencement of these regulations there shall be a centralised service for the Market Committee sconsisting of the cadres and posts given below :—	"4. With effect from the commencement of these regulations there shall be a centralised service for the Market Committees consisting of the cadres and posts given below :—
1. *Secretaries*—	1. *Secretaries*—
(*a*) Secretaries, Grade-I for 'A' Class Markets;	(*a*) Secretaries, Class-I,
(*b*) Secretaries, Grade-II for 'B' Class Markets;	(*b*) Secretaries, Class-II,
(*c*) Secretaries, Grade-III for 'C' Class Markets;	(*c*) Secretaries, Class-III, Grade-I,
(*d*) Secretarios, Grade-IV for 'D' Class Markets.	(*d*) Secretaries, Class-III, Grade-II,
	(*e*) Secretaries, Class-III, Grade-III.
2. *Market Staff* :—	2. *Market Staff*—
(*a*) Mandi Paryavekshak:	(*a*) Mandi Paryavekshak,
(*b*) Amin/Auctioners.	(*b*) Amin/Auctioner.
3. *Accounts Staff*—	3. *Accounts Staff*—
(*a*) Accountant;	(*a*) Accountant,
(*b*) Accounts Clerk;	(*b*) Accounts Clerk,
(*c*) Cashier-*cum*-Clerk.	(*c*) Cashier-*cum*-clerk.
4. *General Staff*—	4. *General Staff*—
(*a*) Head Clerk;	(*a*) Head Clerk,
(*b*) Clerk-*cum*-typist.	(*b*) Clerk-*cum*-typist.
5. *Fourth Class Staff*—	5. *Fourth Class Stak*—
(*a*) Mandi Sahayak (Kamdar	(*a*) Mandi Sahayak (Kamdar),
(*b*) Peon,	(*b*) Peon
(*c*) Chaukidar:	(*c*) Chaukidar
(*d*) Mandi Abhirakshak	(*d*) Mandi Abhirakshak
(*e*) Security Guard,	(*e*) Secrutity Guard
(*f*) Waterman	(*f*) Waterman
(*g*) Mali	(*g*) Mali
(*h*) Pump Operator/Electrician	(*h*) Pump Operator/Electrician
(*i*) Lineman	(*i*) Lineman
(*j*) Electrical	(*j*) Electrician
(*k*) Driver	(*k*) Driver
(*l*) Bhisti	(*l*) Bhisti
(*m*) Sweeper"	(*m*) Sweeper"

3. In regulation 12 of the said regulations, *for* sub-regulation (4) set out in column-1, sub-regulation set out in column-2 below shall be *substituted*, namely :— Amendment of Regulation-12 (4)

COLUMN-1 *Existing sub-regulation*	COLUMN-2 *Amended sub-regulation*
"12. (4) For recruitment to Class D posts the Selection Committee, shall consist of the Regional Deputy Director (Administration), who will be the Chairman of the Selection Committee and the Chairman and Secretary of the concerned Market Committee who shall be the members thereof."	"12. (4) For recruitment to Class D posts the Selection Committee, shall consist of the Regional Deputy Director (Administration), one officer nominated by the Director and the Secretary and where there are more than one Secretary the senior most Secretary of the concerned Market Committee. The senior most officer among them shall be the Chairman."

Amendment of Regulation-24

4. In regulation 24 of the said regulations for sub-regulations (1) and (2) set out in column-1 the sub-regulations set out in column-2 below shall be *substituted*, namely :—

COLUMN-1 *Existing sub-regulations*	COLUMN-2 *Amended sub-regulations*
"24. (1) A member of centralised service [other than the employees mentioned in sub-regulation (2)] may be transferred from one Market Committee to another Market Committee by the order of Regional Deputy Director (Administration) and from one region to another region by the order of the Director or the Additional Director. The transfer travelling allowances of members of the centralised service shall be borne by the Market Committee to which he is transferred.	"24. (1) A member of centralised service [other than the employees mentioned in sub-regulation (2)] may be transferred from one Market Committee to another Market Committee in the region by the order of the Director, or Additional Director or the Regional Deputy Director (Administration) and from one region to another region by the order of the Director or the Additional Director. The transfer travelling allowances of members of the centralised service shall be borne by the Market Committee to which he is transferred.
(2) The Regional Deputy Director (Administration) may in special circumstances transfer any Mandi Sahayak (Kamdar) from one Market Committee to another Market Committee within the region or any member of the service holding Group 'D' post other than Mandi Sahayak (Kamdar) from one Market Committee to another Market Committee within the district."	(2) The Director or the Additional Director or the Regional Deputy Director (Administration) may in special circumstances transfer any Mandi Sahayak (Kamdar) from one Market Committee to another Market Committee, within the region or any member of the service holding Group 'D' post other than Mandi Sahayak (Kamdar) from one Market Committee to another Market Committee within the district."

Amendment of Regulation 46 (4)

5. In regulation 46 of the said regulations, for sub-regulation (4) set out in column-1 the sub-regulation set out in column-2 below shall be *substituted*, namely :—

COLUMN-1 *Existing sub-regulation*	COLUMN-2 *Amended sub-regulation*
"46. (4) The appointing authority may, at any time, by notice to the member (whether permanent or temporary) without assigning any reason require him to retire after he attains the age of 50 years or such member may by notice to the appointing authority voluntarily retire at any time after attaining the age of 45 years or after he has completed qualifying service of twenty years. The period of such notice shall be three months."	"46. (4) The appointing authority may at any time, by notice to the member (whether permanent or temporary) without assigning any reason require him to retire after he attains the age of 50 years or such member may by notice to the appointing authority voluntarily retire at any time after attaining the age of 45 years or after he has completed qualifying service of twenty years. The period of such notice shall be three months. *Explanation*—For taking action under sub-regulation (4) the provisions of clause (c) (including its explanation), of the Fundamental Rule 56 of the Uttar Pradesh Fundamental Rules in Financial Handbook, Volume II, Parts II to IV as amended from time to time and such other rules, regulations, instructions, orders as may be generally applicable to Government servants serving in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh shall *mutatis mutandis* apply."

Amendment of Regulations-48

6. In regulation 48 of the said regulations, set out in column-1 the regulation set out in column-2 below shall be *substituted*, namely :—

[COLUMN-1 *Existing regulation*	COLUMN-2 *Amended regulation*]
"48. In regard to the matters not specifically covered by these regulations or by other special orders, persons applointed to	"48. In regard to the matters not specifically covered by these tegulations or by other special orders, person appointed to the

19

20

Column-1 Amended Regulation	Column-2 Amended regulations
the centralised service shall be governed by rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh."	centralised service shall be governed by the rules, regulations, instructions and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh. (2) In regard to the matters specifically covered or deemed to be specifically covered by these regulations or by special orders, for other details and further provisions in connections therewith not contained in these regulations or other special orders, persons appointed to the centralised service shall be governed by the rules, regulations, instructions and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh."

ARVIND MOHAN,
Director,
Mandi Parishad.

By order,
RAM KRISHAN,
Krishi Sachiv and
Chairman,
Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad.

Regulation :—

(1) Publish on June 30, 1984 *vide* no. 3819/XII-5—600(287)-81.

(2) Amended on April 10, 1989 *vide* no.1512/XII-5—89-600(287)-81.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 1533 राजपत्र- (हि०)-- (3408)--1991--1119+100 (मैक०)।